फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

सुभाष शर्मा बनाम लो.सू.अधि. आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 19 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
06.05.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट सुभाष शर्मा पुत्र स्व0 बनवारी लाल शर्मा निवासी मकान नं 119/305 थडी मार्केट मानसरोवर, जयपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी **आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी **आयुक्त नगरं निगम भरतपुर** के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। Sd/- जिला कलक्टर भरतपुर	446 24/5/25 अपील [illegible]